

<p>तारीख हुकम</p>	<p><b>हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</b></p> <p>श्रीमती संगीता सिंघवी ऐडवोकेट निवासी- मुथो का बास, सोजत सिटी, जिला पाली।</p> <p><b>बनाम</b></p> <p>लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सोजत प्रथम सूचना अपील संख्या :- 49/2026 जीसीएमएस नं. :- 2026/113 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>27.05.2026</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. पत्रावली आज पेश हुई।</li> <li>2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सोजत से चाही गई थी परन्तु रेस्पोंडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।</li> <li>3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सोजत ने न्यायालय हाजा को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उनके द्वारा आवेदक को भिजवा दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।</li> <li>4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना के विपरीत, अपीलार्थी को न्यायालय हाजा से जारी नोटिस तामील होने के बावजूद अपीलार्थी न तो उपस्थित हुए एवं न ही अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है, तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।</li> <li>5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।</li> <li>6. निर्णय आज दिनांक 27.05.2026 को लिखवाया जकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो।</li> </ol> <p style="text-align: center;">(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली</p>	